भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 266
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

निम्न श्रेणी के अयस्क की पुनर्प्राप्ति

266. सुश्री महुआ मोइत्राः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राज़ील, चीन आदि जैसे अन्य देशों में 42% तक कम लौह वाले निम्न श्रेणी के अयस्क की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रसंस्करण संयंत्र हैं, जिन्हें ब्लास्ट फर्नेस में छर्रों में परिवर्तित करके इस्पात में परिवर्तित किया जाता है और हमारे देश में लौह अयस्क खनन से निम्न श्रेणी के अयस्क (62% से कम लौह) की पुनर्प्राप्ति नहीं होती है, जिससे उक्त अयस्क को टेलिंग में या उसके स्टॉक के भंडारण द्वारा निपटाया जाता है जिसके कारण इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी होती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा उद्योग में बिक्री योग्य निम्न श्रेणी के अयस्क की पुनर्प्राप्ति के लिए उठाए जा रहे कदमों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उक्त कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा या निजी कंपनियों को निम्न श्रेणी के अयस्क की ढुलाई करने के लिए व्यापारिक खनन करने की अनुमति दी जाएगी ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग) : वर्तमान में, इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात कंपनियां देश में उपलब्ध प्रसंस्करण संयंत्रों में अपने प्रौद्यो-आर्थिक सोच-विचारों के अनुसार निम्न श्रेणी लौह अयस्क और अन्य कच्चे माल को बेनिफिशिएट करने और उपयोग का निर्णय लेती हैं। कई लौह अयस्क खनिकों के पास निम्न श्रेणी के लौह अयस्क को पुन: प्राप्त करने और बेनिफिशिएट करने की सुविधा है।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 (2021 में संशोधित) के अनुसार, निजी कंपनियों सहित कैप्टिव खनिकों को एमएमडीआर अधिनियम की आवश्यकता को पूरा करने के बाद उस वर्ष में उत्पादित 50% तक खनिज उत्पादन बेचने की अनुमति प्रदान की गई है।

*****